सरल कानूनी ज्ञान माला – 40

# एड्स को जानें

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL


**उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

## लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

## लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

# एड्स को जानें

एड्स को अंग्रेजी में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह हमारे शरीर की ऐसी दशा है जहां बीमारियों से लड़ने की हमारी कुदरती ताकत प्रायः समाप्त हो जाती है। जैसे किसी किले की हालत सिपाहियों के बिना होती है वैसे ही बिना प्रतिरक्षा तंत्र के हमारा शरीर किसी भी बीमारी का आसान शिकार बन जाता है। और इस स्थिति में कोई दवाई भी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती।

## एड्स कब होता है?

जब हमारा रक्त एच.आई.वी. नामक वायरस से संक्रमित हो जाता है तब इस अवस्था को एच.आई.वी. पॉजिटिव कहा जाता हैं। इस अवस्था से एड्स होने का खतरा होता है। हालांकि कई मामलों में एच.आई.वी. पॉजीटिव होने और एड्स रोगी होने में वर्षों का अंतराल भी देखा गया है, पर यह निश्चित नहीं है।

## एच.आई.वी. संक्रमण कैसे होता है?

यह संक्रमण मुख्यतः 4 तरीकों से हो सकता है–

1. दो मनुष्यों के मध्य असुरक्षित यौन संबंध जिसमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्रावों (रक्त, वीर्य, योनि स्राव, लार) का सम्पर्क परस्पर हुआ हो।
2. संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने जाने पर।
3. संक्रमित सुई के प्रयोग से (चिकित्सा के दौरान, गोदना के समय, नशे के इंजेक्शन से)
4. संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को।

## तो क्या एच.आई.वी. संक्रमण मृत्यु है?

नहीं, बिल्कुल नहीं। यह केवल एक प्रकार का रक्त संक्रमण हैं। आधुनिक चिकित्सा शैली एवं विशिष्ट दवाओं के साथ सुरक्षित जीवनचर्या के बूते आप इस संक्रमण से लड़ सकते हैं। और आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप संक्रमण से पहले करते थे– जैसेः काम पर जाना, पढ़ाई करना, मित्रों के साथ भोजन करना आदि। समस्त शासकीय/सरकारी/चिकित्सालयों में निःशुल्क एवं गोपनीय उपचार तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध हैं। नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें और बराबर दवाईयां लें।

एक खास बात और........... उन बातों का ध्यान रखें जिससे यह संक्रमण फैलता है, कहीं आपकी लापरवाही आपके परिवार की परेशानी का कारण न बने। इन थोड़ी सी सावधानियों के साथ आप अपना जीवन सामान्य रूप से आनन्द और गरिमा के साथ जी सकते हैं। आपका परिवार आप से प्रेम करता है, आपका जीवन किसी भी संक्रमण से कहीं अधिक शक्तिशाली और सुन्दर है।

## क्या एच.आई.वी.संक्रमण से बचा जा सकता है?

हां। क्यों नहीं! आखिर अन्य संक्रमणों, सर्दी–खांसी की तरह यह भी तो एक संक्रमण ही है। स्वयं को एवं अपने साथी (पति/पत्नी) को उन कारणों से दूर रखें जिनसे एच.आई.वी. का वायरस आपके खून तक पहुंचता है।

### याद रखें

- यौन संबंधो में एक से अधिक साथी न बनायें। हमेशा कण्डोम का उपयोग करें। अपने साथी के प्रति वफादार रहें।
- हमेशा रक्तदान से पहले रक्त की एच.आई.वी./एड्स की जांच अवश्य करें।
- कभी भी नशा न करें, खास तौर पर सुई के द्वारा।
- हमेशा इंजेक्शन लगवाते समय डिस्पोजेबल सीरिज का उपयोग करें और तत्काल अपने सामने उसे नष्ट करने को कहें।
- संक्रमण की पुष्टि होने पर पर्याप्त जांच एवं डॉक्टरी सलाह के आधार पर ही गर्भधारण करें।

## मुझे बताया गया है कि मुझे एचं. आई. वी. संक्रमण है। इस स्थिति में मेरे अधिकार क्या है?

एच.आई.वी. संक्रमण से आपके सामान्य संवैधानिक एवं नागरिक अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप के सभी अधिकार वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे अन्य सभी के। हां, यह जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानकारी के अभाव में कई लोगों के साथ परिवार, समाज एवं कामकाजी मामलों में कई तरह के भेदभाव किये जा रहे हैं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति या एड्स पीड़ित के साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार या सामाजिक/व्यावसायिक बहिष्कार न केवल असामाजिक, अमानवीय एवं निंदनीय है बल्कि कई मामलों में गैर कानूनी भी है।

## इन मामलों में क्या कोई अलग कानून बना है?

विशेष रूप से एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिये एक पृथक कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अभी भी उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य कानूनों के दायरे में अनेक उपाय हैं जो एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं।

## कानून क्या कहता है?

एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों की सबसे बड़ी समस्या भेदभाव/निष्कासन है। हमारे संविधान में दिये गये बुनियादी अधिकारों में ऐसे किसी भी भेदभाव को गलत ठहराया है। आइए जानते हैं कि एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों के मामले में इन अधिकारों के मायने क्या हैं?

**सामानता का अधिकार** : जिस प्रकार धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता इसी प्रकार एच.आई.वी. संक्रमण के आधार पर

सार्वजनिक उपयोग के स्थानों, जन सेवाओं के प्रदाय एवं लोक नियोजन (नौकरी/व्यवसाय) आदि के क्षेत्रों में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

अगर किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव एवं अवसरों पर रोक लगायी गयी है तो वह व्यक्ति माननीय न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों की निजता एवं गोपनीयता को बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसमें ढील दी जा सकती है।

**स्वतंत्रता का अधिकार :** एच.आई.वी./एड्स पीड़ित व्यक्ति अपनी इच्छा का व्यवसाय, निवास चुन सकता है। उन्हें अपने समूह/संगठन बनाने की, अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। यात्रा की आजादी है।

**जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का अधिकार :** जीवन सर्वोपरि हैं, और इसमें केवल शरीर की रक्षा ही नहीं बल्कि उन सब बातों का समावेश है जो जीवन को पोषित करती हैं–पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं शिक्षा।

- कोई भी सरकारी चिकित्सक एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों के उपचार से इन्कार नहीं कर सकता है और उनके संक्रमण की जानकारी भी गोपनीय रखी जाती है ताकि उनकी निजता एवं सम्मान की रक्षा की जा सके।
- गोपनीयता का अधिकारः कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी एच.आई.वी. (+) व्यक्ति को एच.आई.वी./एड्स की जांच के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। जांच के नतीजों को गोपनीय रखा जाता है। हालांकि अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिये चाहिये कि हम स्वैच्छिक रूप से ही जांच करा लें।
- आप अन्य लोगों की तरह ही सार्वजनिक सेवाओं, शौचालयों, भोजनालयों, टेलीफोन, कम्प्यूटर, वाहन आदि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें से किसी भी चीज से एच.आई.वी./एड्स नहीं फैलता।
- केवल एच.आई.वी. पॉजीटिव होने के आधार पर काम से निकालना, काम में अलग करना, मकान से निकालना आदि सब अवैधानिक है।

**शिक्षा का अधिकार :** स्कूल या कॉलेज में किसी भी बच्चे के एच.आई.वी. /एड्स पीड़ित होने पर उसे नहीं निकाला जा सकता। न ही उसे अलग बैठने के लिये कहा जायेगा।

**शोषण/उत्पीड़न के विरूद्ध अधिकार :** एच.आई.वी./एड्स पीड़ित होने के आधार पर अथवा अन्यथा भी प्रत्येक नागरिक को अपने खिलाफ किये जा रहे शोषण के विरोध एवं न्यायिक उपचार का अधिकार है।

## अब जानते हैं जीवन के दूसरे पहलुओं से जुड़े हमारे अधिकार क्या हैं?

### एच.आई.वी./एड्स एवं परिवारिक मामले :

- **विवाह :**
  1. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित व्यक्ति शादी कर सकता है।
  2. अपने साथी को अपने एच.आई.वी./एड्स के बारे में विवाह पूर्व अवगत कराएं अन्यथा यह तलाक का कारण बन सकता है।
  3. यह अत्यंत सराहनीय होगा कि आप विवाह बंधन में बंधने से पूर्व स्वैच्छिक रीति से न केवल एच.आई.वी. बल्कि अन्य रोगों खासतौर पर थैलिसीमिया, अनीमिया, सीकलिंग, मधुमेह आदि की भी उचित जांच करा अपने भावी साथी को बता दें।

- **संतानोत्पति :**
  1. गर्भ धारण से पूर्व भावी शिशु के संक्रमण की संभावना एवं उसके पालन पोषण को सुनिश्चित कर लें।

- **तलाक :**
  1. केवल एच.आई.वी./एड्स स्टेटस छुपाकर या धोखों से छुपाकर किये गये विवाह को कारण माना जा सकता है।

- **भरण पोषण और बच्चे की अभिरक्षा :**

  आम तौर पर छोटे बच्चों की अभिरक्षा मां को ही सौंपी जाती हैं। एच.आई.वी./एड्स होने से इस पर असर नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने समुदाय के विवाह कानून के आधार पर उसे भरण पोषण का भी अधिकार है।

- **सम्पति :**

  पिता अथवा पति की सम्पति में अधिकार का प्रश्न किसी भी सूरत में व्यक्ति के एच.आई.वी./एड्स होने के कारण प्रभावित नहीं होता। सम्पत्ति का प्रश्न व्यक्तिगत कानूनों जैसे– हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम आदि के अनुसार सुलझाया जा सकता है। इस संदर्भ में देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ती हुई कुप्रथा के मामले सामने आये हैं। यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति (पिता/पति) की मृत्यु एड्स के कारण हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसके आश्रितों (पत्नी/बच्चों/आदि को जबरन संपत्ति से बेदखल/निकाल दिया जाता है। यह प्रथा पूर्णतः गैर–कानूनी है।

## ➢ एच.आई.वी./एड्स एवं कामकाजी मामले :

1. बिना आपकी जानकारी एवं सहमति के कोई भी मालिक/नियोक्ता/कंपनी आपको शारीरिक जांच के नाम पर एच.आई.वी. जांच के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. अगर आप आवश्यक स्तर तक शिक्षित, काम करने लायक है और आपसे अन्य सहकर्मियों को संक्रमण का खतरा नहीं है तो आपको नौकरी में रखे जाने का पूरा अधिकार है।
3. प्रत्येक नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि –
    - एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो।
    - एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के प्रति अन्य कर्मचारियों के लिये स्पष्ट एवं अभिव्यक्त आचार संहिता हों।
    - लिखित एच.आई.वी. पॉलिसी जो लागू हो।
    - गोपनीयता।
    - नियोजन पूर्व एच.आई.वी. जांच शामिल न हो।
    - वार्षिक स्वास्थ्य जांच में एच.आई.वी. शामिल न हो।

## ➢ एच.आई.वी./एड्स एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार :

- प्रत्येक शासकीय चिकित्सालय में एच.आई.वी./एड्स की जांच पूर्ण रूप से गोपनीय एव निःशुल्क है। अपने निकटतम वी.सी.टी.सी. केन्द्र से संपर्क करें।
- ऐसे समस्त केन्द्रों में एच.आइ.वी. प्रतिरोधक उपचार एवं दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध है।
- एच.आई.वी./एड्स पीडितों से स्वास्थय कर्मियों एवं अन्य मरीजों या उनके परिजनों के द्वारा भेदभाव नही किया सकता।
- एच.आई.वी./एड्स पीडितों के इलाज के दौरान क्लिनिकल संपर्क के कारण संक्रमण की संभावनाओं की रोकथाम की जानी चाहिये।
- यदि किसी सामान्य रोगी को अस्पताल में किसी उपचार/निदान प्रक्रिया अथवा रक्त प्रदाय के कारण एच.आई.वी./एड्स संक्रमण हुआ हो तो वह उपभोक्ता अदालत के माध्यम से क्षतिपूर्ति की मांग उस अस्पताल/चिकित्सक/रक्त केन्द्र से कर सकता है।
- एच.आई.वी./एड्स एवं देह व्यापार

- किसी भी प्रकार का देह व्यापार करना अथवा करने के लिये प्रेरित करना दण्डनीय अपराध है। यह सही है कि इसमें फंसे लोग सामाजिक आर्थिक कारणों के शिकार हैं। शासन का प्रयास है कि प्रत्येक स्थिति में ऐसे लोगों का एच.आई.वी./एड्स संक्रमण से बचाव हो। अगर संक्रमण हो गया हो तो यथासंभव उपचार एवं पुनर्वास हो। इसके लिये यौन कर्मी अपने जिले की एड्स नियंत्रण समिति से संपर्क कर सकते है। समय–समय पर अपनी एच.आई.वी./एड्स जाचं करवाते रहें।
- हमेशा कण्डोम का उपयोग करें ।

➢ **अपने अधिकारों के हनन की स्थिति में इनसे संपर्क करें :**

- राज्य एड्स नियंत्रण समिति(एस.ए.सी.एस.)
- एड्स व एच.आई.वी. के साथ जीने वाले लोगों का नेटवर्क (पी.एल. डब्ल्यू.एच.ए.)
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.)
- कोई पंजीकृत सामाजिक संस्था (एन.जी.ओ.)

# विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ............................................. पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा ................................................... निवासी ........................................................................................ विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   (1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

पता –

नाम –

# उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सरल कानूनी ज्ञान माला–1 | उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम |
| 2. | सरल कानूनी ज्ञान माला–2 | पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण |
| 3. | सरल कानूनी ज्ञान माला–3 | वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी |
| 4. | सरल कानूनी ज्ञान माला–4 | उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण |
| 5. | सरल कानूनी ज्ञान माला–5 | सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। |
| 6. | सरल कानूनी ज्ञान माला–6 | महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार |
| 7. | सरल कानूनी ज्ञान माला–7 | वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून |
| 8. | सरल कानूनी ज्ञान माला–8 | भ्रष्टाचार निवारण विधि |
| 9. | सरल कानूनी ज्ञान माला–9 | मध्यस्थम एवं सुलह विधि |
| 10. | सरल कानूनी ज्ञान माला–10 | मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि |
| 11. | सरल कानूनी ज्ञान माला–11 | मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान |
| 12. | सरल कानूनी ज्ञान माला–12 | भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि |
| 13. | सरल कानूनी ज्ञान माला–13 | उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि |
| 14. | सरल कानूनी ज्ञान माला–14 | झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि |
| 15. | सरल कानूनी ज्ञान माला–15 | किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि |
| 16. | सरल कानूनी ज्ञान माला–16 | मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि |
| 17. | सरल कानूनी ज्ञान माला–17 | बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य |
| 18. | सरल कानूनी ज्ञान माला–18 | नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि |
| 19. | सरल कानूनी ज्ञान माला–19 | उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान |
| 20. | सरल कानूनी ज्ञान माला–20 | मजदूरों के कानूनी अधिकार |
| 21. | सरल कानूनी ज्ञान माला–21 | प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य |
| 22. | सरल कानूनी ज्ञान माला–22 | दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया |
| 23. | सरल कानूनी ज्ञान माला–23 | प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 |
| 24. | सरल कानूनी ज्ञान माला–24 | हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार |
| 25. | सरल कानूनी ज्ञान माला–25 | बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 |
| 26. | सरल कानूनी ज्ञान माला–26 | उपभोक्ता संरक्षण कानून |
| 27. | सरल कानूनी ज्ञान माला–27 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 |
| 28. | सरल कानूनी ज्ञान माला–28 | घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 |
| 29. | सरल कानूनी ज्ञान माला–29 | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 |
| 30. | सरल कानूनी ज्ञान माला–30 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून |
| 31. | सरल कानूनी ज्ञान माला–31 | तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम) |
| 32. | सरल कानूनी ज्ञान माला–32 | दहेज |
| 33. | सरल कानूनी ज्ञान माला–33 | बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान |
| 34. | सरल कानूनी ज्ञान माला–34 | राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून |
| 35. | सरल कानूनी ज्ञान माला–35 | मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक |
| 36. | सरल कानूनी ज्ञान माला–36 | श्रम कानून |
| 37. | सरल कानूनी ज्ञान माला–37 | उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी) |
| 38. | सरल कानूनी ज्ञान माला–38 | सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक |
| 39. | सरल कानूनी ज्ञान माला–39 | वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम |
| 40. | सरल कानूनी ज्ञान माला–40 | एड्स को जानें |
| 41. | सरल कानूनी ज्ञान माला–41 | मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार |
| 42. | सरल कानूनी ज्ञान माला–42 | शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा |
| 43. | सरल कानूनी ज्ञान माला–43 | समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं |
| 44. | सरल कानूनी ज्ञान माला–44 | कानून की जानकारी आखिर क्यों? |

## विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

## निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

## अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

**कँवर अमनिन्दर सिंह**
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

**न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त**
कार्यपालक अध्यक्ष

**उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**
**उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल**

*Designed & Printed by* : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726